दैनिक भारत कि

# तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-३३५ वा | गुरूवार १० जुलै २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

# एप्पल कंपनी के मुख्य के तौर पर भारतीय मुल के सबीह खान कि नियुक्ति १९० करोड़ का सालाना पैकेज।

न्यूयॉर्क ( एजेंसी )

सबीह खान, जो १९६६ में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पैदा हुए, को ८ जुलाई २०२५ को एप्पल इंक का मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) नियुक्त किया गया, जो जेफ विलियम्स का स्थान लेंगे। यह भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए गर्व का क्षण है। नीचे उनके जीवन, करियर और अनुमानित वेतन पैकेज की जानकारी हिंदी में दी गई है।

पृष्ठभूमि और शिक्षा

प्रारंभिक जीवन: सबीह खान का जन्म १९६६ में मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्कूली पढ़ाई के दौरान उनका परिवार सिंगापुर चला गया, और बाद में वे अमेरिका में बस गए।

शिक्षा: खान ने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डबल बैचलर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने रेन्सेलेयर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की।

प्रारंभिक करियर: एप्पल में शामिल होने से पहले, खान ने जीई प्लास्टिक्स (अब सैबिक) में एप्लिकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर और प्रमुख खाता तकनीकी नेता के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी समाधान विकसित किए और विनिर्माण संबंधों का प्रबंधन किया।

एप्पल में करियर

एप्पल में शुरुआत: खान ने १९९५ में एप्पल के प्रोक्योरमेंट विभाग में कदम रखा, जब कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। लगभग तीन दशकों में, उन्होंने कंपनी को वैश्विक तकनीकी नेता बनाने में योगदान दिया।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष (ऑपरेशंस): २७ जून २०१९ से, खान एप्पल के ऑपरेशंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे, जो तत्कालीन सीओओ जेफ विलियम्स को रिपोर्ट करते थे। इस भूमिका में, उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, योजना, खरीद, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, उत्पाद पूर्ति और आपूर्तिकर्ता जिम्मेदारी कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। उन्होंने पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान दिया, जिससे कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट ६०% से अधिक कम हुआ, और अमेरिका में विनिर्माण का विस्तार किया।

सीओओ नियुक्ति: ८ जुलाई २०२५ को, एप्पल ने घोषणा की कि खान जुलाई २०२५ के अंत में सीओओ बनेंगे, जेफ विलियम्स के स्थान पर, जो २०२५ के अंत तक सेवानिवृत्त होंगे। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने खान को एक शानदार रणनीतिकार बताया और उनकी आपूर्ति श्रृंखला के नेतृत्व की सराहना की।

योगदान और उपलब्धियां

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन: खान ने एप्पल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया, उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित की, और उन्नत विनिर्माण तकनीकों को लागू किया। कोविड-१९ महामारी के दौरान, उन्होंने वैश्विक व्यवधानों के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित किया।

स्थिरता: खान के नेतृत्व में, एप्पल ने पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण प्रगति की, हरे-भरे विनिर्माण भागीदारों के साथ साझेदारी की और आपूर्तिकर्ता विविधता में सुधार किया।

वैश्विक प्रभाव: उनके कार्य ने व्यापार तनाव और टैरिफ दबाव जैसे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एप्पल की चपलता सुनिश्चित की, साथ ही अमेरिका में कंपनी के विनिर्माण विस्तार को बढ़ावा दिया।

वेतन और मुआवजा पैकेज

सबीह खान के सीओओ के रूप में सटीक वेतन का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एप्पल केवल शीर्ष अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रॉक्सी स्टेटमेंट में मुआवजे की जानकारी देता है। हालांकि, अनुमान और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर:

पूर्ववर्ती का वेतन: जेफ विलियम्स, पूर्व सीओओ, का आधार वेतन १० लाख डॉलर था, और प्रोत्साहन और स्टॉक पुरस्कारों सहित कुल मुआवजा लगभग २३ मिलियन डॉलर (लगभग १९० करोड़ रुपये) वार्षिक था, जैसा कि बैरन ने बताया।

सबीह खान का अनुमानित वेतन: भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खान का वार्षिक मुआवजा सीओओ के रूप में लगभग १९० करोड़ रुपये (लगभग २३ मिलियन डॉलर) हो सकता है। इसमें आधार वेतन, प्रदर्शन-आधारित बोनस और स्टॉक पुरस्कार शामिल हैं, जो एप्पल में कार्यकारी वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

संदर्भ: एप्पल के कार्यकारी मुआवजे में अक्सर कंपनी के प्रदर्शन से जुड़े बड़े स्टॉक पुरस्कार शामिल होते हैं, जो साल-दर-साल बदल सकते हैं। तुलना के लिए, एप्पल के सीईओ टिम कुक का कुल मुआवजा कुछ वर्षों में १०० मिलियन डॉलर से अधिक रहा है।

महत्व-खान की नियुक्ति एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो न केवल मुरादाबाद से एप्पल के शीर्ष नेतृत्व तक उनकी व्यक्तिगत यात्रा को दर्शाती है, बल्कि भारतीय प्रवासियों के लिए भी गर्व का विषय है। उनका उदय एप्पल के वैश्विक नेतृत्व में विविधता को रेखांकित करता है और युवा पेशेवरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सीईओ टिम कुक और निवर्तमान सीओओ जेफ विलियम्स ने खान की रणनीतिक दृष्टि और नेतृत्व की प्रशंसा की है, जो अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और बढ़ते टैरिफ दबावों के बीच एप्पल के संचालन को संचालित करने की उनकी क्षमता में विश्वास दर्शाता है।

## तुकड़ेबंदी कानून में ढील का फैसला; १५ दिनों में कार्यपद्धति होगी तय-चंद्रशेखर बावनकुले

जमीर काज़ी, मुंबई

राज्य में बढ़ते शहरीकरण के चलते तुकड़ेबंदी कानून से उत्पन्न हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को विधानसभा में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि १ जनवरी २०२५ तक शहरी क्षेत्रों में जो प्लॉटिंग या तुकड़े किए गए हैं, उन्हें वैध दर्जा देने के लिए तुकड़ेबंदी कानून में ढील दी जाएगी। साथ ही, भविष्य में इस कानून को स्थायी रूप से रद्द करने के लिए एक उचित कार्यप्रणाली (डजझ) तैयार की जाएगी।

विधानसभा में विधायक अमोल खताळ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए मंत्री बावनकुले ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर रचना अधिनियम (चठढझ) एवं तुकड़ेबंदी कानून का उल्लंघन हुआ है, जिससे नागरिकों की संपत्तियों के पंजीकरण सहित अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में अड़चनें आ रही हैं। इस विषय पर विधायकों जयंत पाटील, विजय वड्डेटीवार, विक्रम पाचपुते, प्रकाश सोळंके, और अभिजीत पाटील ने भी सवाल उठाए।

मंत्री बावनकुले ने कहा कि तुकड़ेबंदी कानून में ढील देने के लिए एक स्पष्ट डजझ तैयार की जाएगी, जिसमें प्लॉटिंग, लेआउट, सड़कें, रजिस्ट्री और वास्तविक निर्माण जैसे नियमों को परिभाषित किया जाएगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से चलेगी ताकि दलालों की दखलअंदाजी रोकी जा सके। डजझ तैयार करने के लिए एक चार सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें एसीएस (राजस्व), एसीएस (शहरी विकास), जमाबंदी आयुक्त और खत्रछ शामिल होंगे। यह समिति विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें देगी।

उन्होंने बताया कि महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत और प्राधिकरण क्षेत्रों के अलावा गांव की सीमाओं से २०० से ५०० मीटर तक के इलाके को इस निर्णय में शामिल किया जाएगा। भविष्य में महानगरपालिका सीमाओं से २ किलोमीटर तक के क्षेत्र को भी डजझ में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। मंत्री बावनकुले ने बताया कि इस समय राज्य में ५० लाख से अधिक परिवार तुकड़ेबंदी कानून के कारण परेशान हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि १ जनवरी २०२५ तक जो एक गुंठा क्षेत्र तक के प्लॉट हैं, उन्हें वैध किया जाएगा। इससे नागरिकों को रजिस्ट्री, निर्माण अनुमति और संपत्ति अधिकार प्राप्त करना संभव हो सकेगा।

विधायकों ने सुझाव दिया कि नगर परिषद और महानगरपालिकाओं से लगे ग्रामीण क्षेत्रों को भी इस निर्णय में शामिल किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य महामार्गों के किनारे विकसित बस्तियों को भी इसका लाभ मिले - इस पर भी मांग की गई। मंत्री बावनकुले ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि डजझ बनाते समय सभी विधायकों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि सभी विधायक सात दिनों के भीतर अपने सुझाव एसीएस (राजस्व) को प्रस्तुत करें।

विपक्ष ने फैसले का किया स्वागत

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा तुकड़ेबंदी कानून पर दिए गए उत्तर के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के नेता जयंत पाटील, कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वड्डेटीवार, भाजपा विधायक विक्रम पाचपुते, राष्ट्रवादी के प्रकाश सोळंके और अभिजीत पाटील ने इस फैसले का स्वागत किया और इतना साहसी निर्णय लेने के लिए सरकार की सराहना की।

## पंकजा ताई मुंडे की लड़ाकू शैली ने सबको किया प्रभावित; विपक्ष और सत्तापक्ष के सवालों की बौछार का दिया दमदार जवाब, उपसभापति ने की खुले मंच से सराहना!

मुंबई । दिनांक ०९ : जमीर काजी

राज्य की पर्यावरण और पशुसंवर्धन मंत्री ना. पंकजा ताई मुंडे की जुझारू शैली का ताजा उदाहरण हाल ही में विधान परिषद के सदन में देखने को मिला। एक ही मुद्दे पर विपक्ष और सत्तापक्ष के विधायकों ने उन पर सवालों की चौतरफा बौछार कर दी, लेकिन पंकजा मुंडे ने ऐसा करारा जवाब दिया कि उपसभापति ने स्वयं उनके उत्तर की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की।

हुआ यूं कि मुंबई के अंधेरी क्षेत्र में लगभग ३०० एकड़ मैंग्रोव वन और पेड़ कटाई के विनाशकारी हस्तक्षेप पर विधान परिषद में विस्तार से चर्चा हुई। इस मुद्दे पर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने सदन में पर्यावरण विभाग और सरकार का स्पष्ट और ठोस पक्ष सामने रखा। खास बात यह रही कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ-साथ सत्तापक्ष के विधायकों ने भी पंकजा मुंडे से तीखे सवाल पूछे।

विधान परिषद सदस्य अनिल परब ने सदन में मैंग्रोव पेड़ों की कटाई को लेकर विशेष चर्चा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि अंधेरी इलाके में लगभग ३०० एकड़ जमीन पर अवैध रूप से मिट्टी भरकर समुद्र के पानी के प्राकृतिक प्रवाह को रोका गया है। सीआरझेड-१ क्षेत्र में भराव डालकर जमीन पर कब्जा किया गया है। इस मामले में केवल एफआईआर दर्ज की गई है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

इस पर मंत्री पंकजा मुंडे ने जवाब दिया कि वह स्वयं स्थल का निरीक्षण करेंगी और दोषियों पर सर्वोच्च स्तर की कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर अनिल परब, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन आहिर आदि सदस्यों ने भी सदन में कई प्रश्न पूछे। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पंकजा मुंडे ने कहा कि सभी संबंधित विभागों की संयुक्त जांच की जाएगी, सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मिलकर वह स्वयं मौके का मुआयना करेंगी और आवश्यकता पड़ी तो जांच समिति गठित की जाएगी। उन्होंने बेहद संतुलित और संतोषजनक जवाब देकर सभी सदस्यों को संतुष्ट किया।

नीलम गोऱ्हे ने की पंकजा मुंडे की सराहना

उपसभापति डॉ. नीलम गोऱ्हे ने कहा, अधिवेशन १८ जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगला अधिवेशन दिसंबर में होगा। तब तक इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वन विभाग, पर्यावरण विभाग और संबंधित अधिकारियों की संयुक्त बैठक तुरंत बुलाई जाए। माननीय मंत्री महोदय १२ या १३ जुलाई को स्वयं स्थल का निरीक्षण करें और १४ तारीख तक संबंधित बैठक आयोजित करें।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह बैठक नहीं हुई, तो १८ जुलाई से पहले हम स्वयं एक बैठक आयोजित करेंगे। उपसभापति डॉ. गोऱ्हे ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हुई है, लेकिन इतनी विस्तृत और ठोस जानकारी के साथ किसी ने कभी भी यह विषय प्रस्तुत नहीं किया था। पर्यावरण मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर बेहद प्रभावी रहा और इससे पहले ऐसी गहन प्रस्तुति किसी मंत्री द्वारा नहीं की गई थी, यह बात उन्होंने खुले सदन में सराहते हुए कही।

## बारिश की कमी से हुए फसलों के नुकसान का करें पंचनामा- विधायक संदीप क्षीरसागर

बीड, दिनांक ९ (प्रतिनिधि):

जून और जुलाई माह में, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान ही अचानक बारिश बंद हो जाने से किसानों द्वारा बोई गई फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। इस कारण किसानों के सामने दोबारा बुवाई का संकट खड़ा हो गया है, जिससे वे गंभीर आर्थिक परेशानी में फंसे हैं।

बीड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीड शहर, बीड ग्रामीण और शिरूर कासार तालुका समेत पूरे बीड जिले में मानसून की शुरुआत से ही बारिश ने मुंह मोड़ा है। इस कारण खेतों में बोई गई फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और अब किसानों को मजबूरी में दुबारा बुवाई करनी पड़ रही है। इसके साथ ही लगातार बिजली आपूर्ति भी बाधित हो रही है, जिससे किसानों को फसलों की देखभाल में दोनों ओर से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए विधायक संदीप क्षीरसागर ने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व और कृषि विभाग द्वारा फसलवार पंचनामा किया जाए और किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही दोबारा बुवाई के लिए भी उन्हें हरसंभव मदद दी जाए।

## नागरिकों को सभी सुविधाएं तेजी से देने हेतु प्रशासन कटिबद्ध-जिलाधिकारी विवेक जॉनसन

बीड, ०९ जुलाई (जिमाका):

किसानों, आम नागरिकों और विद्यार्थियों को उनके दैनिक जीवन में आवश्यक सभी सुविधाएं शीघ्र और प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी नागरिकों से अपील है कि वे प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को दोपहर १२ से २ बजे तक आयोजित होने वाले जनसुनवाई दरबार में अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने स्पष्ट रूप से रखें, इन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। यह विश्वास जिल्हाधिकारी विवेक जॉनसन ने परळी में नागरिकों से संवाद करते हुए व्यक्त किया।

यह शिविर बीड जिल्हा परिषद की प्राथमिक शाला टोकवाडी, परळी में राजस्व विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जिलाधिकारी जॉनसन की उपस्थिति में बाल विवाह रोकने और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई।

इस शिविर में २१ किसानों को वारस फेरफार (उत्तराधिकारी संबंधित बदलाव) और सातबारा दस्तावेज वितरित किए गए। १३ किसानों को अन्य अधिकारों में सुधार के साथ सातबारा प्रतियाँ दी गईं, ३ खेत रास्तों के रेकॉर्ड भी किसानों को प्रदान किए गए।

४० विद्यार्थियों को आय, निवास, जाति प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमीलेयर और परियोजना प्रभावित प्रमाणपत्र वितरित किए गए। प्राकृतिक आपदा में बिजली गिरने से मरे पशुओं के मालिकों को सरकारी सहायता प्रदान की गई, साथ ही आत्महत्या करने वाले किसान के परिजनों व बिजली गिरने से घायल व्यक्ति को भी सरकारी अनुदान दिया गया। महिला व बाल विकास विभाग की ओर से ४ लाभार्थियों को बेबी किट दी गईं, वहीं मालेवाडी, कुटेवाडी और वाघाळा गाँवों के आत्महत्या प्रभावित किसान परिवारों को तुर दाल के बीज (मिनी किट) दिए गए। मोजणी विभाग ने गाँव की सीमा के अंतर्गत आने वाले १० किसानों को सनद और नक्शों का वितरण किया।

कुल ९९ किसानों और विद्यार्थियों को जिलाधिकारी विवेक जॉनसन और अंबाजोगाई की अपर जिलाधिकारी अश्विनी जिरंगे सोनवणे के हाथों विविध योजनाओं का लाभ वितरित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में परळी और पिंपळगाव गाढे मंडल के किसान व नागरिक उपस्थित रहे।

## उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

# संपादक पर हमले का संस्थाचालक को पड़ा खामियाजा, पत्रकारों की एकजुटता की जीत

## पत्रकार संरक्षण कानून के तहत सईद बेग और शिक्षक कागज़ी एकरार पर मामला दर्ज

बीड (प्रतिनिधि):

विद्यालय के खिलाफ खबरें छापने पर नाराज़ होकर बीड संघर्ष दैनिक के संपादक खमरूल इमान पर संस्थाचालक मिर्जा सईद बेग अनवर बेग और शिक्षक कागज़ी एकरार ने हमला कर दिया। यह घटना हाल ही में घटित हुई थी, लेकिन बीड शहर पुलिस ने शुरुआत में केवल एनसी (गैर-संज्ञेय अपराध) दर्ज कर मामला टालने की कोशिश की।

मामले को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के शिष्टमंडल ने पुलिस अधीक्षक नवनीत कांवत से मुलाकात की और हमला होने का सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किया। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत आरोपियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। इसके बाद बुधवार रात देर से मिर्जा सईद बेग और शिक्षक कागज़ी एकरार के खिलाफ पत्रकार संरक्षण कानून तथा बीएनएस की धाराएं ४, ११५(२), ३५२, ३५१(२), ३(५) के अंतर्गत बीड शहर थाने में मामला दर्ज किया गया।

हमले की पृष्ठभूमि:

बीड़ संघर्ष के संपादक मोहम्मद खमरूल इमान खान जफर खान नाज़ की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, उर्दू प्राथमिक विद्यालय खासबाग, बीड के संचालक मिर्जा सईद बेग अनवर बेग और शिक्षक एकरार अहमद असरार अहमद कागज़ी (दोनों निवासी बीड)

ने खबरें छापने की वजह से संपादक पर गाली-गलौज करते हुए हमला किया, जान से मारने की धमकी भी दी।

यह हमला ५ जुलाई २०२५ को हुआ था और उसी दिन संपादक ने बीड शहर पुलिस थाने में शिकायत दी थी। लेकिन पुलिस ने मात्र एनसी दर्ज कर मामले को नजरअंदाज किया।

पत्रकार संघ की सक्रियता से मिली न्याय की राह:

इसके बाद पत्रकार संघ के प्रदेश संपर्क प्रमुख वैभव स्वामी, अमजद खान, शेख ताहिर, शेख आयशा, शेख वसीम, शेख अय्यूब, दीपक थोरात, रईद खान, सिराज आरज़ू, जावेद पाशा, शेख इरफान, समीर काज़ी समेत अन्य प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक नवनीत कांवत से मिलकर पत्रकार संरक्षण कानून के अंतर्गत मामला दर्ज करने की मांग की और सईद बेग के सभी स्कूलों की गहन जांच की भी मांग की।

पुलिस अधीक्षक नवनीत कांवत ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने के आदेश दिए। आदेश के पालन में बीड शहर पुलिस थाने के प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक बाबा राठौड़ ने त्वरित कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कराया।

अधिकारियों की तत्परता और राठौड़ की सराहनीय भूमिका:

राज्य पत्रकार संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत कांवत ने अपर पुलिस अधीक्षक सचिन पांडकर को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके तहत सहायक पुलिस निरीक्षक बाबा राठौड़ ने गंभीरता से जांच कर पत्रकार को न्याय दिलाया।

पत्रकार संरक्षण कानून २०१७ के तहत बीड जिले में दर्ज होने वाला यह पहला मामला है, जिससे पत्रकारों को कानूनी संरक्षण का मार्ग स्पष्ट हुआ है। इस कार्रवाई के लिए जिले भर में सहायक पुलिस निरीक्षक बाबा राठौड़ की सराहना की जा रही है।

# आर्थिक अनुशासन के साथ चल रहा है महाराष्ट्र का वित्तीय प्रबंधन-अजित पवार

जमीर काज़ी, मुंबई

राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह से आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए चलाया जा रहा है। राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत है और राज्य सरकार नई आय के स्रोत तैयार कर संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर रही है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने बुधवार को विधानसभा में दी। वह पूरक अनुदानों पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे।

पवार ने कहा कि पूरक मांगों की निधि का उपयोग १५वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान, केंद्र सरकार की विकास योजनाओं में राज्य की भागीदारी, सड़कें, रेलवे, पुल, मेट्रो और सुरंग मार्गों जैसे कामों के लिए किया जाएगा। इससे राज्य की परिसंपत्तियों में भी वृद्धि होगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्त आयोग के मानदंडों के अनुसार राज्य पर कुल बकाया दायित्व सकल राज्य उत्पाद (ऋडउ्झ) का औसतन २५% से कम होना चाहिए। २०२५-२६ के बजटीय अनुमान के अनुसार राज्य का संचित दायित्व १८.८७% है, जो अधिकतम सीमा से कम है। साथ ही, राज्य की राजकोषीय घाटा सीमा ऋडउ्झ के ३% के भीतर रहनी चाहिए, और महाराष्ट्र ने इसे २.७६% पर बनाए रखने में सफलता पाई है।

आज की तारीख में महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा ही ऐसे राज्य हैं जिन पर कर्ज का प्रतिशत २०% से कम है। राज्य सरकार आय के नए स्रोतों के निर्माण और संसाधनों के कुशल उपयोग से राज्य की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बना रही है।

पावसाळी (मानसून) सत्र में सरकार ने कुल ५७,५०९ करोड़ रुपये की पूरक मांगें पेश की हैं, हालांकि इनका वास्तविक शुद्ध वित्तीय भार केवल ४०,६४५ करोड़ रुपये है। इसमें से १९,१८४ करोड़ रुपये अनिवार्य खर्चों के लिए, ३४,६६१ करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए तथा ३,६६५ करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए सुझाए गए हैं।

इनमें शामिल हैं:

१५वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत ११,०४३ करोड़ रुपये के अनुदान

मुद्रांक शुल्क अधिभार वापसी हेतु ३,२२८ करोड़ रुपये

मुंबई मेट्रो परियोजना समेत परिवहन के लिए सुरंग निर्माण हेतु राज्य सरकार की हिस्सेदारी के रूप में २,२४१ करोड़ रुपये का द्वितीयक ऋण

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी चीनी मिलों को वर्किंग कैपिटल हेतु २,१८३ करोड़ रुपये का मार्जिन मनी लोन

केंद्र सरकार से पूंजीगत व्यय हेतु ५० वर्षों के लिए ब्याज मुक्त २,१५० करोड़ रुपये की विशेष सहायता

अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने एवं वितरण प्रणाली में सुधार हेतु नाबार्ड से २,०९७ करोड़ रुपये का कर्ज

सिंहस्थ कुंभ मेले की योजना हेतु १,००० करोड़ रुपये

इन सभी प्रमुख मांगों सहित वास्तविक शुद्ध आर्थिक भार केवल ४०,६४५ करोड़ रुपये है, जो राज्य के सक्षम वित्तीय ढांचे और अनुशासित प्रबंधन का स्पष्ट प्रमाण है। पवार ने दोहराया कि राज्य सरकार की आर्थिक अनुशासन, सटीक योजना, और आय वृद्धि की सोच के कारण ही महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत, स्थिर और टिकाऊ बनी हुई है।

# मीरा-भायंदर पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे का तबादला

## निकेत कौशिक को सौंपी गई जिम्मेदारी

विशेष प्रतिनिधि, मुंबई

मराठी मोर्चे को अनुमति न देने के कारण विवादों में आए मीरा-भायंदर के पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे का अचानक तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (एसीबी) के अपर महानिदेशक निकेत कौशिक को नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है।

गृह विभाग ने बुधवार दोपहर इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और पांडे को पुलिस मुख्यालय (प्रशासन) में स्थानांतरित किया गया है।

पांडे का मीरा-भायंदर में कार्यकाल ६ महीने से अधिक हो चुका था, लेकिन मंगलवार को मराठी आंदोलन के दौरान हुए बवाल को उनके तबादले का कारण माना जा रहा है।

दरअसल, ३ जुलाई को मीरारोड में स्थानीय व्यापारियों ने हिंदी भाषियों के समर्थन में मोर्चा निकाला था। इसके जवाब में मराठी एकीकरण समिति और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने मंगलवार को मराठी भाषियों का मोर्चा निकालने की योजना बनाई थी। लेकिन इस मोर्चे को अनुमति नहीं दिए जाने पर मराठी समाज में भारी रोष उत्पन्न हुआ और लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

अब नए पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक के सामने चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जहां उन्हें राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील माहौल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी।

# निकृष्ट भोजन पर भड़के विधायक संजय गायकवाड, होटल कर्मचारी से की मारपीट-वीडियो वायरल

जमीर काज़ी, मुंबई

लगातार विवादित कृत्यों और बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक संजय गायकवाड एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। पावसालीन अधिवेशन के दौरान मंगलवार रात उन्होंने विधायक निवास स्थित होटल के एक कर्मचारी की बुरी तरह पिटाई कर दी। खराब और बासी खाना मिलने से नाराज़ होकर गायकवाड बनियान और तौलिया लपेटे हुए सीधे कैंटीन में पहुंचे और कर्मचारी की धुनाई कर दी।

गायकवाड की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो गया है और इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

जानकारी के अनुसार, विधायक संजय गायकवाड ने मंगलवार को विधायक निवास की कैंटीन में खाने का ऑर्डर दिया था। जब उन्हें भोजन परोसा गया, तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनके थाली में जो भात और वरण (दाल) दिया गया वह बासी था और उसमें से बदबू आ रही थी। इससे गायकवाड को गुस्सा आ गया। उन्होंने बनियान और तौलिया पहने हुए अपने सहायक के साथ कैंटीन में प्रवेश किया और वहां के मैनेजर को फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने कर्मचारी को बुलाया और उसे थप्पड़ मारे और चेहरे तथा पेट पर घूंसे जड़े।

कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल

वर्तमान में विधायक गायकवाड पावसालीन अधिवेशन के लिए मुंबई में मौजूद हैं और उनका ठहराव आकाशवाणी विधायक निवास में किया गया है। कैंटीन में खराब खाना मिलने की बात कहकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। गायकवाड ने कर्मचारी को घूंसे मारते हुए उसकी पिटाई की। थप्पड़ मारने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद गायकवाड के एक कार्यकर्ता ने बीच में आकर उस कर्मचारी को और भी पीटा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और गायकवाड के इस व्यवहार पर नेटिज़न्स (इंटरनेट उपयोगकर्ता) की तरफ से तीव्र नाराज़गी जताई जा रही है।

## शिकायतों के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ-संजय गायकवाड

विधायक संजय गायकवाड ने कहा, विधायक निवास की कैंटीन में घटिया भोजन को लेकर मैंने दो से तीन बार शिकायत दी थी। बावजूद इसके कोई सुधार नहीं किया गया। यह सैकड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। इसलिए मैंने कर्मचारी से सवाल पूछा और अपनी स्टाइल में उसे सबक सिखाया। मैं इस मुद्दे को विधानसभा में उठाऊंगा।

– संजय गायकवाड (विधायक, शिवसेना – शिंदे गुट)

# कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण बीड़ से 'आप' ने की मुलाकात, आंदोलन की चेतावनी

बीड । प्रतिनिधि :

बीड शहर के नागरिक पिछले आठ वर्षों से अमृत अटल जल आपूर्ति योजना की पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है। इसी पृष्ठभूमि में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने १३ जून को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्यवाही न होने के कारण, पार्टी ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के छत्रपति संभाजीनगर स्थित मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे व अधीक्षक अभियंता दीपक कोळी से मुलाकात कर दोबारा ज्ञापन सौंपा था। उसी ज्ञापन का पालन करते हुए आज बीड में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता हेमंत नागदे से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया कि बीड शहर के नागरिकों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, जिससे आक्रोश व्याप्त है। माजलगांव बांध भरा हुआ है, फिर भी बीड के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे बांध में पानी, पर गला सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके लिए नगर परिषद प्रशासन, ठेकेदार और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की लापरवाही और भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी ने जिम्मेदार ठहराया है।

ज्ञापन में यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि ११४ करोड़ की अमृत योजना अभी अधूरी है, फिर भी १०० करोड़ रुपये का भुगतान ठेकेदारों को कर दिया गया और वे फरार हो गए। अधूरे कार्य के बावजूद भुगतान कर देने के कारण लाखों नागरिकों को अब तक स्वच्छ पेयजल नहीं मिला है। नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा यह कथन कि बीड को कभी पानी नहीं मिलेगा, बेहद निराशाजनक और चौंकाने वाला बताया गया।

पार्टी की ओर से बीड शहर में अधूरे पड़े कार्यों की सूची भी प्रस्तुत की गई है और चेतावनी दी गई है कि यदि आगामी छह दिनों में इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो ज़िलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन किया जाएगा और साथ ही इस विषय में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी।

इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व सैनिक अशोक येडे, शहराध्यक्ष सैयद सादिक रफीक पठान, अल्पसंख्यक विभाग प्रमुख सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

# कैंटीन कर्मचारी से मारपीट करना अनुचित-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई से रिपोर्ट

विधायक निवास में स्वच्छता को लेकर यदि कोई शिकायत हो, तो उसके लिए अधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की जा सकती है। सब्जियों और खाद्य पदार्थों की खराब गुणवत्ता, दुर्गंध जैसी बातें निश्चित रूप से नज़रअंदाज नहीं की जा सकतीं। लेकिन वहाँ कार्यरत कर्मचारियों के साथ मारपीट का रास्ता बिल्कुल भी उचित नहीं है – इन शब्दों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधायक संजय गायकवाड की हरकत पर विधान परिषद में नाराज़गी जताई।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से जनप्रतिनिधियों की जनता के बीच गलत छवि बनती है, इसलिए सभापति और विधानसभा अध्यक्ष को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ठाकरे गुट के नेता एवं विधायक एडवोकेट अनिल परब ने इस मुद्दे पर विशेष सूचना के तहत संबंधित विधायक को निलंबित करने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस प्रकार का व्यवहार किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए शोभनीय नहीं है। इससे न केवल संपूर्ण विधिमंडल की गरिमा पर आंच आती है, बल्कि विधायक पद की भी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। उन्होंने अध्यक्ष से इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेने का अनुरोध किया।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharash-tra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com